मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय
कार्यालयः टैगोर छात्रावास श्यामला हिल्स, भोपाल–462002
दूरभाष एवं फैक्स:0755–2660461, email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2025 / दिनांक – 10.10.2025

/ / विशेष सूचना / /

प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, भोपाल के द्वारा निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की शुल्क निर्धारण करती है। प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा विशेष सूचना के माध्यम से निर्देशित किया था कि संस्थायें छात्रों से निर्धारित फीस ही लेना सुनिश्चित करें और संस्था के सूचना पटल पर निर्धारित फीस की जानकारी भी चस्पा करें, जिससे प्रवेशित छात्रों को शिक्षण शुल्क के संबंध में जानकारी सुलभ हो।

प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति को आयुष विभाग के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में वर्तमान में सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि संस्थायें निर्धारित फीस से अधिक फीस की मांग की जा रही है फलस्वरूप छात्रों को प्रवेश से वंचित किया जा रहा है।

अतः आयुष विभाग के अंतर्गत संचालित संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित फीस ही छात्रों से लेना सुनिश्चित करें, किसी भी प्रकार से अनाधिकृत अधिक शिक्षण शुल्क की शिकायत सिद्ध होने पर आरोपी संस्था पर अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।

(ए.के.दीक्षित)
प्रशासनिक अधिकारी

पृ. क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2025 / 2219 दिनांक–10.10.2025

प्रतिलिपि–1. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. आयुक्त, आयुष विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर अग्रेषित कर, अनुरोध है कि संस्थाओं को अपने स्तर से भी इस संबंध में चेतावनी जारी करने का कष्ट करें।

3. अध्यक्ष / सचिव / संचालक / प्राचार्य, समस्त संबंधित आयुष विभाग की संस्थायों को जानकारी की गई की सूचना का पालन सुनिश्चित करने के संबंध में प्रेषित।

(ए.के.दीक्षित)
प्रशासनिक अधिकारी